संख्या-42/2016/836/26-3-2016-4(25)/92-टी0सी0

प्रेषक,

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

आहरण वितरण अधिकारी,
समाज कल्याण विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 10 मार्च, 2016

विषयः-चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-83 के आयोजनागत पक्ष में 50 प्रतिशत भारत सरकार सहायतित समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत पी0सी0आर0 सेल का गठन योजना हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-53/2015/1610/26-3-2015-4(25)/92 टी0सी0, दिनांक-21.05.2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च 2015, में निहित व्यवस्था के अंतर्गत अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों का उत्पीड़न संबंधी घटनाओं के संबंध में प्रभावी कार्यवाही के उददेश्य से समाज कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन शासन स्तर पर गठित पी0सी0आर0 सेल के संचालन हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 आय-व्ययक प्राविधान रूपया-23.29 लाख के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में 25 प्रतिशत अर्थात रूपया-5.80 लाख (रूपये पांच लाख अस्सी हजार मात्र) निम्नलिखित विवरण के अनुसार शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन अवमुक्त कर आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(हजार रूपये में)

योजना/मद का नाम	आय व्ययक प्राविधान 2015-16	स्वीकृत की जा रही धनराशि
अनुदान संख्या-83 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण-आयोजनागत- 01-अनुसूचित जातियों का कल्याण- 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-		

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

0110-समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत पी0सी0आर0 सेल का गठन (के.50/रा.50-के.$रा.)		
01-वेतन-	538	134
03-महगाई भत्ता-	646	161
04-यात्रा व्यय-	50	12
06-अन्य भत्ते-	150	37
07-मानदेय-	30	8
08-कार्यालय व्यय-	60	15
15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	265	66
26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	100	25
42-अन्य व्यय	315	78
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	100	25
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय-	75	19
कुल योग-0110	2329	580

(रूपये पांच लाख अस्सी हजार मात्र)

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पूर्व में कोई भी धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/डिपाजिट आदि खातों में अवशेष जमा नहीं है। व्यय हेतु वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्य-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च 2015, में दिये गये दिशा-निर्देशों एवं प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग उसी प्रयोजन में किया जायेगा, जिसके लिए यह स्वीकृत की जा रही है।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष कोषागार से उतनी धनराशि का आहरण किया जायेगा जितनी धनराशि का तुरन्त व्यय किये जाने की आवश्यकता हो। आवश्यकता से अधिक धनराशि का आहरण कदापि न किया जाये। व्यय की गयी धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र समय से महालेखाकार/इस अनुभाग को उपलब्ध कराया जायेगा और जो धनराशि अवशेष बच जाये उसे शासन को समय से समर्पित किया जायेगा।

(3) धनराशि के व्यय हेतु वित्त विभाग द्वारा मितव्ययिता के संबंध में समय-समय पर निर्गत सुसंगत वित्तीय नियमों/आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा उ0प्र0बजट मैनुवल के पैरा-88 में इंगित व्यवस्था के अनुसार व्यय को प्राधिकृत विनियोग सीमा/स्वीकृत/अवमुक्त धनराशि के भीतर रखा जाये। धनराशि को पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में जमा नहीं किया जायेगा। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्स आफ फाइनेन्सियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त स्वीकृत की जा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

रही धनराशि के सापेक्ष व्यय किये जाने से पूर्व जिन मामलों में भारत सरकार/शासन की पूर्व अनुमति/स्वीकृति आवश्यक हो, प्राप्त कर ही व्यय किया जायेगा।

2- इस धनराशि का आहरण चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक-2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण-आयोजनागत-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0110-समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत पी0सी0आर0 सेल का गठन (के.50/रा.50-के.$रा.)के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च 2015, में निहित निर्देशों के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

संख्या-42/2016/836/(1)/26-3-2016 तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार,(लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. संयुक्त सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
6. वित्त नियंत्रक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
9. वित्त संसाधन(केन्द्रीय सहायता) अनुभाग
10. मुख्य लेखाकार, समाज कल्याण अनुभाग-1 (लेखा कोष्ठक) उ0प्र0 शासन।
11. गार्डफाइल।

आज्ञा से,

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in